

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत	न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी	मुकाम	सवाईमाधोपुर
नन्दा देवी पुत्री जाति मण निवासी आस्ट्रोली हाल निवासी श्यामाथ तिवाडी की गली चौडा रास्ता जयपुर	श्रीनारायण पत्नि स्व0सत्यनारायण ब्राह्मण	बनाम	मिश्रीलाल पुत्र श्रीनारायण वर्ग0
किस्म मुकदमा	अपील अन्तर्गत धारा 225 आर टी एक्ट	नं.	29/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.06.2024	<p>अपीलार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक श्री राधेश्याम वैष्णव के अपील अन्तर्गत धारा 225 आर टी एक्ट में रेस्पोंड के विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी द्वारा प्रकरण संख्या 10/2024 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए बावत अस्थाई निषेधाज्ञा में पारित आदेश दिनांक 09.04.2024 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई। रिपोर्ट सरिस्ता व पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पारित उपर्युक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 09.04.2024 के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 16.1.2024 को पारित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को आक्षेपित आदेश दिनांक 09.04.2024 से विद्भो किया जाकर उक्त प्रकरण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अप्रार्थी न0 3 की तलबी हेतु 16.04.2024नियत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश को न्यायालय हाजा में चुनौती दी गई है। चूंकि आक्षेपित आदेश 09.04.2024 अंतिम आदेश/निर्णय नहीं होकर अंतरिम आदेश होने से अपील योग्य नहीं होकर सक्षम न्यायालय में पुनरीक्षण योग्य होने से प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से इसी एडमिशन की स्टेज पर खारिज की जाती है। पत्रावली दाखिल, खारजा की जाकर निर्णय शुमार होकर बाद तामील तकमील प्रविष्ट लेख भण्डार हो।</p>	

31
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर